



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '45' in a circle.

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1311 / 05 / 76 / एक / 2013-14  
सेवा में,

दिनांक : 08 अगस्त 2013

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। eA

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:- (धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	अभिकरण पर रोकी गई सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	मऊ	न0पा0परि0 मऊ	मो0 अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत सेराजददीन के घर होते हुये कमरुददीन के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.65	0.62	5.03	PNB 0316000102404003
2	मऊ	न0पा0परि0 मऊ	मो0 अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत इशतेखार के घर से जमशेद के घर होते हुये मंसूर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	12.03	1.34	10.69	
3	मऊ	न0पा0परि0 मऊ	मो0 अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत कमलददीन के घर से रेयाज के घर हेते हुये रेलवे लाइन तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	18.69	2.08	16.61	
4	मऊ	न0पा0परि0 मऊ	मो0 अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत केदार के घर से लल्लू के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	13.31	1.48	11.83	
5	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड नं-5 पुरानी पुलिस चौकी के पास पुलिया से बार्दपारा रोड पुलिया तक पक्का नाला निर्माण का कार्य।	6.03	0.67	5.36	
6	मऊ	न0पं0 अमिला	वाड-5 प्रेम सोनकर के मकान के पास से मोहतामीन तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	4.17	0.46	3.71	
7	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड-5 मोहम्मद समातुल्ला के घर से सी0सी0 रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	4.11	0.46	3.65	
8	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड नं0 -5 मो0 रफीक के मकान से मा0 तवी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.57	0.29	2.28	
9	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड-5 हनीफ के घर से सी0सी0 रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.07	0.67	5.40	

Handwritten mark resembling a checkmark or 'V'.

Handwritten number '2' with a horizontal line through it.



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 2 -

10	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड नं0 5 मेन बाजार सी0सी0 रोड रामचन्द्र तेली के मकान से नंप0 शौचालय तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.88	0.65	5.23
11	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड नं0 8, महमूद खान के मकान से होते हुये राम समुज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.99	0.67	5.32
12	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड-9 शम्शुद्दीन के मकान से सी0सी0 रोड धर्चवन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.74	0.75	5.99
13	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड-9 अली अहमद के मकान से पुलिया से पोखरे तक पक्का नाला का निर्माण कार्य।	2.29	0.25	2.04
14	मऊ	न0पं0 अमिला	वार्ड नं0 9 हाजीदीन अली के मकान से अब्दुल कादिर के मकान होते हुये हाजी मुहम्मद अली के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.13	0.57	4.56
15	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड-7, करीमुद्दीनपुर में बसी अहमद अंसारी के घर से मुज्जफर अंसारी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	20.63	2.29	18.34
16	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड -11, बड़ा गांव में अयुब अंसारी के घर से मलिन बस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	9.32	1.04	8.28
17	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड नं0-8 करीमुद्दीनपुर बगही में नाजीम मुम्ताज के मकान से छेदी के घर होते हुये सेफुल्लाह अंसारी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	11.62	1.29	10.33
18	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड-8 करीमुद्दीन बगही समशद के घर से हाजी मजहर के स्कूल मधुवन मेने रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	23.19	2.58	20.61
19	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड नं0 -8 करीमुद्दीनपुर बगही में फकर आलम के घर से साहिद जमाल के आहते तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.26	0.70	5.56
20	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड नं0 -8 करीमुद्दीनपुर बगही में अजमल अंसार के घर से हाफीज आशिम के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.16	0.35	2.81
21	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड नं0 8, करीमुद्दीनपुर बगही में नुरुल नगी अंसारी के अहाते से नसीम के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.16	0.35	2.81
22	मऊ	न0पं0 घोषी	वार्ड नं0 8 करीमुद्दीनपुर बगही में हाजरी अंसारी के आते से छेदी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.24	0.69	5.55
	योग			182.24	20.25	161.99

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 3 -



## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 3 -

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 4- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 5- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 7- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

भारतीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल-सूडा।
5. लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक